संख्या : 139 /IV(2)-श0वि0-2016-92(सा0)14

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक : 06 फरवरी, 2017

विषय: "प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)" के अन्तर्गत कुल 1918 आवासों के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) के पत्र संख्या 780/सूडा/102-एचएफए/सीएलएसएस/2016, दिनांक 19.12.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या PAO/Scett/UD/ADMN/ Grantsin Aid/Advices/2016-17/1643-44, दिनांक 07.10.2016 द्वारा ₹ 11,12,34,921/- पत्रांक PAO/Scett/UD/ADMN/ GrantsinAid/Advices/2016-17/1645-46, दिनांक 07.10.2016 द्वारा ₹ 37,80,451/- व पत्रांक PAO/ Scett/UD/ ADMN/GrantsinAid/Advices/2016-17/1641-42, दिनांक 07.10.2016 द्वारा ₹ 64,628/- अर्थात् कुल अवमुक्त किये गये केन्द्रांश की धनराशि ₹ 1150.80 लाख व इसके सापेक्ष राज्यांश ₹ 383.60 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य की 10 नगर निकायों में ई0डब्ल्यू0एस0 लाभार्थियों हेतु कुल 1918 आवास निर्माण हेतु कुल 7499.57 लाख की परियोजनाएं स्वीकृत कर ₹ 2877.00 लाख केन्द्रांश निर्धारित करते हुए प्रथम किस्त के रूप में ₹ 1150.80 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है। तद्क्रम में मुझे कहने का निदेश हुआ है कि **"प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी)"** योजनान्तर्गत **संलग्नक-1** में उल्लिखित विवरणानुसार राज्य की 10 नगर निकायों में EWS आवास निर्माण हेतु स्वीकृत केन्द्रांश कुल ₹ 1150.80 लाख एवं उक्त के सापेक्ष देय राज्यांश ₹ 383.60 लाख, इस प्रकार कुल ₹ **1534.40 लाख (₹ पन्द्रह करोड़ चौतीस लाख चालीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

i. उपरोक्तानुसार स्वीकृत धनराशि ₹ **1534.40 लाख (₹ पन्द्रह करोड़ चौतीस लाख चालीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार सम्बन्धित नगर निकायों को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

ii. **उक्त धनराशि लाभार्थियों को "आदर्श चुनाव आचार संहिता" समाप्त होने के उपरान्त ही यथाप्रक्रिया वितरित की जाएगी।**

iii. योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रत्येक आवास हेतु निर्धारित केन्द्रांश ₹ 1.50 लाख के सापेक्ष राज्यांश ₹ 50 हजार प्रति आवास, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

iv. नगर निकायों द्वारा योजनान्तर्गत स्वीकृत अवस्थापना कार्यों को नगर निकाय द्वारा शहरी विकास निदेशालय, उत्तराखण्ड की तकनीकी शाखा (इंजीनियरिंग विंग) के अनुश्रवण में सम्पादित किये जायेंगे।

v. सम्बन्धित निकाय के अधिशासी अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह की 02 तारीख तक निर्माण कार्य का प्रगति विवरण (फोटोग्राफ्स सहित) भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर शहरी विकास निदेशालय/सूडा एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

vi. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

vii. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों के लिए किया जायेगा, जिनके लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्ययावर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

..2/-....

viii. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047 / XIV-219 / 2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए एवं निर्माण कार्य पर प्रयुक्त होने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये।

ix. नगर निकायों द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाय कि लाभार्थी के पास स्वयं के योगदान, भारत सरकार सहायता, राज्य सरकार सहायता आदि सहित विभिन्न स्रोतों से नियोजित आवास के निर्माण हेतु अपेक्षित वित्त पोषण उपलब्ध हो।

x. **योजनान्तर्गत बनाये जाने वाले कुल आवासों में अनुसूचित जाति के न्यूनतम 19 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति के 04 प्रतिशत व्यक्तियों को अवश्य ही लाभान्वित किया जायेगा एवं वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण में सामान्य वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के लाभार्थियों का विवरण पृथक–पृथक अंकित करते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।**

xi. **योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा निर्गत गाईड लाईन्स, सी0एस0एम0सी0 बैठकों में लिये गये निर्णयों एवं केन्द्रांश अवमुक्त सम्बन्धी भारत सरकार के पत्र संख्या: N-11036/08/2015-HFA-1/FTS-13677, Dt. 26-04-2016 में उल्लिखित प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**

xii. धनराशि का दिनांक 31–3–2017 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य का वित्तीय / भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

xiii. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0–847 / XXVII(1) / 2016, दि0–26.07.2016 में दिए गए दिशा–निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13** के लेखाशीर्षक– 2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– आयोजनागत– 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित–13– हाऊसिंग फॉर ऑल (90:10) / प्रधानमंत्री आवास योजना–'20 सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता' के नामे **₹ 1258.21 लाख** तथा **अनुदान सं0–30** के लेखाशीर्षक 2217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 800–अन्य व्यय–01–केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित–09–हाऊसिंग फॉर ऑल (90:10)–20 सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता के नामे **₹ 276.19 लाख** के नामे डाला जाएगा।

यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–847 / XXVII(1) / 2016, दिनांक 26.07.2016 में दिये गये निर्देशों के कम में निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्न:– अलॉटमेन्ट आईडी (1) S170213 0028
(2) S170230 0029

भवदीय,
(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

सं0–139 (1)/IV(2)-श0वि0–2017, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) / महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी / मा0 शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल / कुमाऊं मण्डल, पौड़ी / नैनीताल।
5. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग / टिहरी / पौड़ी / चमोली / देहरादून / उत्तरकाशी / हरिद्वार / उधमसिंहनगर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2 / निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी, नगर निकाय, उत्तराखण्ड।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,
(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।

06 फरवरी संलग्नक–1

शासनादेश संख्या 139 /IV(2)–श0वि0–2017–92(सा0)14, दिनांक ~~जनवरी~~, 2017 का संलग्नक

धनराशि ₹ लाख में

क्र. सं.	नगर निकाय	परियोजना लागत	स्वीकृत ई0डब्लू0एस0 आवास	प्रथम किस्त में अवमुक्त केन्द्रांश (40%)	देय राज्यांश (40%)	कुल अवमुक्त की जा रही धनराशि (4+5)
1	2	2	3	4	5	6
1	चमोली–गोपेश्वर	1589.94	363	217.80	72.60	290.40
2	चिन्यालीसौड़	1108.14	253	151.80	50.60	202.40
3	जसपुर	2121.53	601	360.60	120.20	480.80
4	लक्सर	595.12	173	103.80	34.60	138.40
5	महुआडाबरा	706.00	200	120.00	40.00	160.00
6	मसूरी	175.20	40	24.00	8.00	32.00
7	पौड़ी	438.00	100	60.00	20.00	80.00
8	रूद्रप्रयाग	464.28	106	63.60	21.2	84.80
9	सितारगंज	240.04	68	40.80	13.60	54.40
10	टिहरी	61.32	14	8.40	2.80	11.20
	योग	**7499.57**	**1918**	**1150.80**	**383.60**	**1534.40**

(₹ पन्द्रह करोड़ चौतीस लाख चालीस हजार मात्र)

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।